दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग–2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

सोमवार, 08 जून,2009/ज्येष्ठ 18,1931(शक)

संख्या–28

नियमः–280 के अन्तर्गत उठाए जाने वाले विशेष उल्लेख के मामलों के संबंध में प्रकिया।

विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम–280 के अन्तर्गत

280 ऐसा विषय उठाना जो व्यवस्था का प्रश्न न हो

जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहें, जो व्यवस्था का प्रश्न न हो तो यह सचिव को लिखित रूप मेंसूचना देंगें, जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतायेंगें जिसे वह सदन में उठाना चाहते होंतथा साथ में कारण भी बतायेंगें कि वे उसे क्यों उठाना चाहते हैं औरउन्हें ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिये जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिये दी जायेगी जो अध्यक्ष निश्चित करें।"

ग्राह्यता की शर्त "

सूचना को ग्राह्य बनाने के लिए निम्नलिखित शर्त पूरी करनी होगीः–

(1) वह उस विषय से संबंधित नहीं होगा जो मुख्यतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से संबंधित नही है,

(2) वह उस विषय के संबंध में नहीं होगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी हो या सत्र के दौरान इस नियम के अन्तर्गत, सदस्य द्वारा पहले उठाए गए विषय के समान हो,

(3) उसमें 250 से अधिक शब्द नहीं होंगें,

(4) उसमें एक से अधिक प्रश्न नही उठायें जाएंगें,

(5) उसमें प्रतर्क, अनुमान, व्यंग्यात्मक पद, अभ्यारोप, विशेषण या मानहानिकारक कथन नहीं होंगें, और

(6) उसमें संसदीय सलाहकार समिति के कार्यवाही वृत्तांतों का उल्लेख नहीं किया जाएगा

II **सूचना देने का समय तथा उनकी वैधताः**

1 प्रत्येक दिन को पूर्वाह्न्न 11.00 बजे तक प्राप्त सूचनाओं को ही उस दिन के लिए स्वीकार किया जायेगा। निर्धारित समय के वाद प्राप्त सूचानाएं अगली बैठक के वैघ होंगी।

2 यदि किसी विशेष दिन को दस से अधिक सूचनाऐं प्राप्त हुई हैं तो उनकी परस्पर पूर्ववार्तिता सचिव विधान सभा के कक्ष में11.15 बजे बेलिट द्वारा निर्धारित की जाएगी। माननीय सदस्य बैलेंटिंग प्रकिया का अवलोकन कर सकते हैं।

3 ऐसी सूचनाएं, जो पूर्वाह्न 11.00 बजे के बाद प्राप्त होती है तथा ऐसी भी जि नको पूर्ववर्तिता प्राप्त नहीं होती, वे अगले दिन की बैलेटिंग के लिए मान्य होंगी । तथापि सप्ताह के अंत में जिस दिन सदन की बैठक हरे, संभी लंबित सूचनाएं व्ययगत हो जाएंगी तथा वे अगले सप्ताह के लिए वैघ होंगी। ऐसी सूचनाओं को उनकी प्राप्ति की तिथि एवं समय के अनुसार रखा जाएगा लेकिन अगले सप्ताह की बैठकों के लिए उनकी पूर्ववर्तिता बैलट द्वारा निर्धारित की जाएगी।

4 किसी सप्ताह के लिए दी गई सूचनाओं को यदि उस सप्ताह के अतं में व्ययग त हो जाएंगी।

परन्तु अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार यदि किसी सूचना को तथ्यों के लिए निर्दिष्ट किया गया है तो वह तब तक व्ययगत नहीं होगा जव तक उसका अंतिम रूप से निपटारा न हो जाए।

III **मामला उठाने पर प्रतिबंधः**

(1) कोई सदस्य एक सप्ताह के दोरान एक से अधिक मामला नहीं उठाएंगें

(2) किसी विशेष दिन की बैठक के लिए सबसे पहले उन सदस्यों को पूर्वपर्तिता दी जाएगी, जिन्होंने उस सप्ताह में कोई मामला नहीं उठाश्स है।

(3) तथापि, किसी विशेष दिन को सदस्यों से सूचनाएं प्राप्त न होने से कुछ स्लाट उपलब्ध है, जैार कि उपरोक्त (II)में इंगित है, तो ऐसे खाली स्लाट उन सदस्यों को आवंटित किए जाएंगें जिन्होने उस सप्ताह के दौरान दूसरा मामला उठाया है। परस्पर पूर्ववर्तिता बैलट द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(4) केवल अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत मूलपाठ ही अभिलिखित किया जाएगा।

सिद्वार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Monday 8th June2009/ Jyaistha, 18, 1931 (Saka)

No. 28

PROCEDURE FOR RAISING A MATTER WHICH IS NOT A POINT OF ORDER UNDER RULE 280 - DIRECTION REGARDING

Rule 280 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which lays down the procedure for raising matters under Rule 280 is reproduced below:-

> **"280: Raising of a matter which is not a Point of order :**
> A member who wishes to bring to the notice of the House any matter which is not a point of order, shall give notice to the Secretary in writing stating briefly the point which he wishes to raise in the House together with reasons for wishing to raise it only after the Speaker has given his consent and at such time and date as the Speaker may fix."

2. Hon`ble Members are requested to adopt the following procedure for raising the matters under Rule-280 :

I. Conditions of admissibility

In order that a notice may be admissible it shall satisfy the following conditions:-

i) it shall not refer to a mater which is not primarily the concern of the Government of the National Capital Territory of Delhi ;
ii) it shall not relate to a mater which has been discussed in the same session or which is substantially identical to the matter under this rule during the session;
iii) it shall not exceed 250 words;
iv) it shall not raise more than one issue; and
v) it shall not contain arguments, inferences, ironical expressions, imputations, epithets or defamatory statements; and
vi) it shall be of public importance.

II. Time for tabling notices and their validity:

i) Only such notices which are received up to 11.00 A.M. on each day shall be entertained for that day. Notices received after expiry of the given time shall be valid for next sitting only.

ii) If more than ten notices have been received for a particular day, their *inter-se* priority will be determined by ballot in the room of Secretary (LA) at 11.15 A.M. Members may see for themselves how the balloting is being done.

iii) Such of the notices which are received after 11.00 A.M. and also those which do not find place in the priority shall be eligible for balloting for the next day. However, all pending notices shall lapse at the end of the week on which the House sits, which shall be valid for the next week. Such notices shall be arranged in accordance with date and time of their receipt, but the priority will be determined by ballot for the sittings in the next week.

iv) Notices not finding place in priority for the week for which they have been tabled, shall lapse at the end of that week:
Provided that a notice referred for facts under orders of the Speaker shall not lapse till it is finally disposed of.

III. <u>Restrictions on raising matters:</u>

i) No member shall raise more than one matter during a week.

ii) Priority for a particular day's sitting will be first given to such members who have not raised any issue during that week.

iii) However, in case on a particular day some slots are available due to non-receipt or receipt of lesser number of notices from members as indicated in (ii) above, such vacant slots will be allotted to the members who have raised second issue during that week. The *inter- se* priority will be determined by ballot.

iv) Only text approved by the Speaker shall go on record.

SIDDHARATH RAO
SECRETARY